



वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय
5वीं मंजिल, टावर-II, जीवन भारती बिल्डिंग, कनाॅट सर्कस, नई दिल्ली – 110001
फा. सं: GoM-RealEstateSector/GSTC/2021/7060-68

दिनांक : 09 जून 2021

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: GST व्यवस्था के अंतर्गत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु मंत्रियों के समूह (GoM) में आंशिक संशोधन।

जीएसटी (GST) व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह सम्बन्धी कार्यालय-ज्ञापन संख्या 09/GoM for Revenue Analysis/GSTC/2018, दिनांक 15.01.2019 में आंशिक संशोधन के परिणामस्वरूप, मंत्रियों के समूह (GoM) की संरचना इस प्रकार होगी:

क्रम संख्या	नाम, पदनाम और संगठन	स्तिथि
1.	श्री नितिनभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री, गुजरात	संयोजक
2.	श्री अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
3.	श्री मौविन गोडिन्हो, मंत्री राज पंचायत), परिवहन, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाएं, प्रोटोकॉल और विधायी मामले (गोवा)	सदस्य
4.	श्री बसवराज एस. बोम्मई, गृह, विधि, संसदीय कार्य और विधान मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
5.	श्री के. एन. बालागोपाल, वित्त मंत्री, केरल	सदस्य
6.	श्री मनप्रीत सिंह बादल, वित्त मंत्री, पंजाब	सदस्य
7.	श्री सुरेश कुमार खन्ना, वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य

2 सयुक्त सचिव (TRU, CBIC) जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित GoM के सचिव, होंगे।

3 इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ. सी. एस. महापात्रा)

अपर सचिव

सेवा में,

मंत्रियों के समूह (GoM) के माननीय सदस्य।

प्रतिलिपि:

1. माननीय वित्त मंत्री के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. माननीय राज्य मंत्री (वित्त) के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के नोडल अधिकारी; इस अनुरोध के साथ कि वे माननीय मंत्रियों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह के सदस्य के रूप में उनके नामांकन के बारे में सूचित करें।
4. राजस्व सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, CBIC, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सीईओ, GSTN, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव, TRU, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. विधि समिति, फिटमेंट समिति और आईटी समिति के संयोजक।

(डॉ. सी. एस. महापात्रा)

अपर सचिव